

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक :-4/नि.1-110/18-250(मात्र) पटना, दिनांक:- 09/10/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/गया/जहानाबाद/औरंगाबाद/सासाराम/भभुआ/शेखपुरा/दरभंगा/
ढाका/समस्तीपुर।

Fax
E-mail

विषय:-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या- 36-0001-
ग्रामीण जलापूर्ति योजना शीर्ष अन्तर्गत (0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई के अधीन, वित्तीय वर्ष
2018-19 में, निधि का आवंटन।

(विपत्र कोड संख्या-36-2215011020001)

आदेश:-उपरोक्त शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ₹86,00,000.00 (छियासी लाख रुपये) मात्र का आवंटन
निम्न तालिका में अंकित विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है, जिसकी पूर्ति, 2215-जल पूर्ति तथा
सफाई-01-जलापूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36- 0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना,
(0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष अन्तर्गत, वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि
से की जायेगी।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्तमान आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	2	3	4
1	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., बिहारशरीफ	10,00,000	दस लाख रुपये मात्र
2	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., गया	15,00,000	पंद्रह लाख रुपये मात्र
3	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., जहानाबाद	8,00,000	आठ लाख रुपये मात्र
4	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., औरंगाबाद	5,00,000	पांच लाख रुपये मात्र
5	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., सासाराम	12,00,000	बारह लाख रुपये मात्र
6	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., भभुआ	12,00,000	बारह लाख रुपये मात्र
7	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., शेखपुरा	2,00,000	दो लाख रुपये मात्र
8	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., ढाका	5,00,000	पांच लाख रुपये मात्र
9	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., दरभंगा	12,00,000	बारह लाख रुपये मात्र
10	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा. प्रमं., समस्तीपुर	5,00,000	पांच लाख रुपये मात्र

योग :- ₹86,00,000.00

(छियासी लाख रुपये) मात्र

- व्यय, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (0001.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारतव्य है।
- महालेखाकार, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।
- व्यय, आवंटित राशि के अन्दर ही सीमित रखें।
- यह आवंटन, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम.4-05/98-2561/वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-3244, दिनांक-04.05.18 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय, चापाकलों की साधारण मरम्मति संबंधी कार्य हेतु किया जायेगा। कार्य से संबंधित चलित या अंतिम विपत्र की जांच कर आवश्यक हो लेने के उपरान्त ही कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। इस आवंटन के विरुद्ध 'व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र' विहित प्रपत्र में एक माह के अन्दर कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा।
- इस आवंटन के अन्तर्गत किये जानेवाला व्यय, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- इस आवंटन के अन्तर्गत किसी प्रकार के वेतन भुगतान पर व्यय नहीं किया जायेगा।

Jemishu
9.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :-4/नि.1-110/18- 250(MTU) पटना, दिनांक:- 09/10/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक/रूपांकण)/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता सहित/संबंधित अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4ए (बजट)/प्रभारी सहायक (बजट)/आई.टी. (मैनेजर), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunishu
9.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव